FORM 21 C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the Peple Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan State from (29) Nawalgarh Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961.

I declare that -

DR. RAJKUMAR SHARMA

GRAM - PARASRAMPURA, TEH. - NAWALGARH, DIST. - JHUNJHUNU
(RAJ.)

sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS_**(name of Recognised / Registered Political Party) has been duly elected to fill the seat in that Assembly from the above constituency.

Place:

Seth Motilal College, Jhunjhunu

Dated:

11-12-2018

(HAWAYSINGH YADAV)
RETURNING OFFICER
ASSEMBLY CONSTITUENCY NAWALGARH(29)
(SUB DIVISIONAL OFFICER AND
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, NAWALGARH)

(HAWAI SINGH YADAV)
Returning Officer
(29) Nawaigarh Assembly Constituency
(SDM) Nawaigarh (Raj.)

प्ररुप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

(029) नवलगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

डॉ. राजकुमार शर्मा ग्राम-परसरामपुरा, तह. – नवलगढ़, जि. – झुंझुनु (राज.)

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :

सेठ मोतीलाल कॉलेज, झुंझुनूं

तारीख:

11.12.2018

(हवाई सिंह यादव) रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नवलगढ़ (29) (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मुजिस्ट्रेट, नवलगढ़)

रिटर्निंग ऑफिसर

(29) विद्यानसभा निर्वाचन क्षेत्र नवलगढ़ (एस.डी.एम.) नवलगढ़ (राज.)